



कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड जयपुर-15)



क्रमांक:-

एफ-6()उपा.राज. प्रथम/जननि/ग्रेटर/2023/3629 दिनांक:- 11/9/23

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक विज्ञप्ति क्रमांक 2960 दिनांक 01.08.2023 एवं सार्वजनिक विज्ञप्ति क्रमांक 3589 दिनांक 05.09.2023 के जरिए 571 आवेदकों को आवंटित डेयरी बूथ स्थल की प्रोविजनल सूची जारी की गई थी। जिसके पश्चात् राजस्थान सरकार की अधिसूचना 9329 दिनांक 22.10.2021 के बिन्दु संख्या 2(xii) तथा बिन्दु संख्या 2(xiv) के अनुसार 20 वर्षों के लिए एक मुश्त किराया/लीज राशि + जी.एस.टी तथा बिन्दु संख्या 8 के अनुसार तथा 2(xv) अनुसार 2 वर्षों के लिए सुरक्षा राशि कुल (15000 + 1000 + 2700) 18700/- रूपयें जमा कराने के लिए पूर्व में जारी सार्वजनिक विज्ञप्ति क्रमांक 2979 दिनांक 14.08.2023 के क्रम में जिन आवेदकों द्वारा डेयरी बूथ किराया/लीज राशि जमा नहीं कराई गई है उन्हें अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए उक्त राशि 18,700/- रूपयें अविलम्ब/07 दिवस में केवल नगद अथवा डी.डी. द्वारा डेयरी बूथ हेतु एकल खिड़की, अटल सेवा केन्द्र (निगम मुख्यालय) में जमा करवाने का अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है, जिसके पश्चात् अधिसूचना के बिन्दु संख्या 9(ख) के अनुसार किराया/लीज राशि का भुगतान नहीं करने पर आवंटन समिति द्वारा बूथ आवंटन निरस्त किया जावेगा।

(शिप्रा शर्मा)

उपायुक्त राजस्व-प्रथम
नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, माननीय महापौर महोदय/उपमहापौर महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
2. निजी सहायक, श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
4. कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम ग्रेटर जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को नगर निगम ग्रेटर जयपुर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करावें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी नगर निगम ग्रेटर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति को दो-मुख्य राजस्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करावें।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति को नगर निगम ग्रेटर जयपुर की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. प्रभारी, अटल सेवा केन्द्र को भेजकर लेख है कि उक्त कार्य हेतु डेयरी बूथ के किराया/लीज राशि को जमा करने हेतु एकल खिड़की की व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
8. गार्ड फाईल।

उपायुक्त राजस्व-प्रथम
नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर